न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 71/2019

1 आवाजसिंह (मृत)।
1/1 फूल कंवर पत्नी आवाजसिंह।
1/2 गजराजसिंह उर्फ श्योदानसिंह पुत्र आवाजसिंह। समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम झीलमील तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
1/3 नरेश कंवर पुत्री आवाजसिंह पत्नी किशनसिंह जाति राजपूत निवासीगण गुणावती तहसील मकराना जिला नागौर।
1/4 भंवर कंवर पुत्री आवाजसिंह पत्नी छतुसिंह जाति राजपुत निवासी भींवसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।

अपीलांट

बनाम

1 सायरसिंह (मृत)।
1/1 नरपत सिंह पुत्र सायरसिंह।
1/2 महावीर सिंह पुत्र सायरसिंह।
2 हनुवत सिंह उर्फ हनुमानसिंह पुत्र भंवरसिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण झीलमील तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) लक्ष्मणगढ़ पीठासीन अधिकारी ड़ा. कुलराज मीणा मुकदमा नम्बर 39/2013 दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बउनवानी आवाजसिंह बनाम सायरसिंह आदि दिनांक 02.08.2019

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जयप्रकाश सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री सिकन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 23-2-21

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 39/2013 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के यहां एक दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट (जो सहायक कलेटर फास्ट ट्रेक लक्ष्मणगढ़ के यहां स्थानान्तरित कर दिया गया) विरूद्व रेस्पोडेंट इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 65 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 82 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 97 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 99 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 100 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 147 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 148 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 149 रकबा 8 बीघा, खसरा नम्बर 150 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खसरा नम्बर 164 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 165 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 98 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 102 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 123 रकबा 35 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 114 रकबा 65 बीघा 18 बिस्वाा कुल रकबा 170 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम झीलामील तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व. भंवरसिंह के कब्जे, काश्त की भूमि की नकल जमाबंदी संवत 2030 से 2053 पेश है। उक्त वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भंवरसिंह के पुत्र होने के कारण उनकी पैतृक भूमियां है, जिनमें वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने बिना किसी कानून के वादी को नोटिस दिये बिना राजस्व अधिकारियों से साज करके वाद में दर्ज भूमियों का खाता अपने नाम बना लिया। जो वादी को प्राप्त अधिकारो की उपेक्षा शून्य व प्रभावहीन है तथा उनके नाम बना खाता निरस्तनीय है। नकल जमाबंदी संवत 2047 से 2050 पेश है। वादी का उपरोक्त भूमियों में 1/3 हिस्सा होने के कारण वादी उद्घोषणा करवाने व बंटवारा करवाने का अधिकार है। वादी अपने 1/3 हिस्से को शामिल नहीं रखना चाहता है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार वादग्रस्त भूमियों का खाता दुरूस्त करवाने के लिए कहा लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 अंततः दिनांक 17.10.1994 को कतई इंकार हो गयाा अतः वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। अत वादी इस्तदुआ का अधिकारी है। वाद में वर्णित भूमियों का 1/3 हिस्सा उदघोषित किया जावे। वर्णित उक्त भूमियों का 1/3 किया जाकर वादी को पृथक तौर पर दिववाया जावे तथा खाता राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे व लगान भी पृथक किया जावे। खर्चा मुकदमा व अन्य व अन्य सहायता जो वादी पा सकता है वह दिलाया जावे। दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि वर्णित कृषि भूमियां भंवरसिंह पुत्र तख्तसिंह के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खाते, कब्जे काश्त की अवश्य थी और प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उनके पुत्रगण हैं, किन्तु उसका पुत्र आवाजसिंह बचपन में ही श्री बालसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी झीलमील के गोद चला गया और तभी से वह उसी के घर गुवाडी में आवासीय है। उसी के खेतों में बतौर उसके दत्तक पुत्र काश्त करता है वादी का उसके जन्मदाता पिता श्री भंवरसिंह की चल व अचल सम्पदा घर, गुवाड़ी मकान व कृषि भूमियों से कोई वास्ता कतई नहीं है। भंवरसिंह की कृषि भूमियों से उक्त बालसिंह के गोद गये वादी आवाजसिंह का कोई वास्ता नहीं है अत उसका उक्त भूमियों में 1/3 हिस्सा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है और न ही उसमें उसका 1/3 हिस्सा अथवा कोई हिस्सा है। वादग्रस्त भूमियां वादी को अपने भाई प्रतिवादी संख्या 2 से भाई बंटवारे में मिली जिनमें से भूमि खसरा नम्बर 147,148,164 व 165 बाबत सर्व श्री आशा लाटा ने वादी के खिलाफ मुकदमा किया जिनमें वो असफल रहे। उक्त भूमियों के अतिरिक्त कुछ भूमियां के बाबत वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बीच बंटवारे का मुकदमा चला जिसमें उनको पृथक–पृथक भूमियां मिली। और वाद अनुसार वादग्रस्त भूमियों से प्रतिवादी संख्या 2 का भी कोई वास्ता नहीं है। इस प्रकार उक्त समस्त वादग्रस्त भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 के एकाकी खाते, कब्जे, काश्त व कब्जे की है जिसका खाता उनके नाम वैध व सही बना हुआ है और जिन भूमियों बाबत वादी को अधिकार प्राप्त नही है। वादग्रस्त भूमियों से कोई वास्ता न रखने वाला वादी उक्त भूमियों के बाबत उदघोषणा व बंटवारा करवाने का कतई अधिकार नहीं है। वाद पत्र में अंकित अन्य समस्त तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वाद पत्र में याचित कोई सहायता प्राप्त करने का वादी अधिकारी नहीं और वाद सव्यय निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात बनाई जाकर साक्ष्य वादी व प्रतिवादी रिकार्ड पार ली जाकर बहस सुनी गई तथा अधिनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर दिनांक 02.08.2019 को मनमर्जी से वादी का वाद खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अपीलांट/वादी ने अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के यहां एक दावा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट(जो सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक लक्ष्मणगढ के यहां स्थानान्तरित कर दिया गया) विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 65 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 82 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 97 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 99 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 100 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 147 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 148 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 149 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 150 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 164 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 165 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 98 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 102 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 123 रकबा 35 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 114 रकबा 65 बीघा 18 बिस्वा कुल रकबा 170 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम झीलमील तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर वादी व प्रतिवादी सख्या 1व 2 के पिता स्व0 भंवरसिंह के कब्जे, काश्त की भूमि की नकल जमाबंदी सम्वत 2030 से 2053 पेश है। उक्त वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1व 2 भंवरसिंह के पुत्र होने के कारण उनकी पैतृक भूमियां है, जिनमें वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1व 2 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने बिना किसी कानून के वादी को नोटिस दिये बिना राजस्व अधिकारियों से साज करके वाद में दर्ज भूमियों का खाता अपने नाम बना लिया। जो वादी को प्राप्त अधिकारों की उपेक्षा शून्य व प्रभावहीन है तथा उनके नाम बना खाता निरस्तनीय है। नकल जमाबंदी सम्वत 2047 से 2050 पेश है। वादी का उपरोक्त भूमियों में 1/3 हिस्सा होने कें कारण वादी उदघोषणा करवाने व बंटवारा करवाने का अधिकार है। वादी अपने 1/3 हिस्से को शामिल नहीं रखना चाहता है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार वादग्रस्त भूमियों का खाता दुरूस्त करवाने के लिए कहा लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 अंततः दिनांक 17–10–94 को कतई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

इंकार हो गया अतः वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः वादी इस्तदुआ का अधिकारी है। वाद में वर्णित भूमियों का 1/3 हिस्सा उदघोषित किया जावे। वर्णित उक्त भूमियों का 1/3 हिस्सा किया जाकर वादी को पृथक तौर पर दिलवाया जावे तथा खाता राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे व लगान भी पृथक किया जावे। खर्चा मुकदमा व अन्य सहायता जो वादी पा सकता है वह दिलाया जावे। दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि वर्णित कृषि भूमियां भंवरसिंह पुत्र तख्तसिंह के खाते, कब्जे काश्त की अवश्य थी और प्रतिवादी संख्या 1व 2 उनके पुत्रगण है, किन्तु उसका पुत्र आवाजसिंह बचपन में ही श्री बालसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी झीलमील के गोद चला गया और तभी से वह उसी के घर गुवाडी में आवासीत है। उसी के खेतों में बतौर उसके दत्तक पुत्र काश्त करता है वादी का उसके जन्मदाता पिता श्री भंवरसिंह की चल व अचल संपदा घर,गुवाडी मकान व कृषि भूमियो से कोई वास्ता कतई नहीं है। भंवरसिंह की कृषि भूमियों से उक्त बालसिंह के गोद गये वादी आवाजसिंह का कोई वास्ता नहीं है, अतः उसका उक्त भूमियों में 1/3 हिस्सा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है और न ही उसमें उसका 1/3 हिस्सा अथवा कोई हिस्सा है। वादग्रस्त भूमियां वादी को अपने भाई प्रतिवादी संख्या 2 से भाई बंटवारे में मिली जिनमें से भूमि खसरा नम्बर 147,148,164 व 165 बाबत सर्व श्री आशा लाटा ने वादी के खिलाफ मुकदमा किया जिनमें वो असफल रहे। उक्त भूमियों के अतिरिक्त कुछ भूमियां के बाबत वादी व प्रतिवादी संख्या 1व 2 के बीच बंटवारे का मुकदमा चला जिसमें उनको पृथक पृथक भूमियां मिली। और वाद अनुसार वादग्रस्त भूमियों से प्रतिवादी संख्या 2 का भी कोई वास्ता नहीं है। इस प्रकार उक्त समस्त वादग्रस्त भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 के एकाकी खाते,कब्जे, काश्त व कब्जे की है जिसका खाता उनके नाम वैध व सही बना हुआ है और जिन भूमियों बाबत वादी को अधिकार प्राप्त नहीं है। वादग्रस्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भूमियों से कोई वास्ता न रखने वाला वादी उक्त भूमियों के बाबत उदघोषणा व बंटवारा करवाने का कतई अधिकार नहीं है। वाद पत्र में अंकित अन्य समस्त तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वाद पत्र में याचित कोई सहायता प्राप्त करने का वादी अधिकारी नहीं और वाद सव्यय निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात बनाई जाकर साक्ष्य वादी व प्रतिवादी रिकार्ड पर ली जाकर बहस सुनी गई तथा अधिनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर दिनांक 2–8–2019 को मनमर्जी से वादी का वाद खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने नकल जमाबंदी प्रदर्श–1 पेश की जिसमें खातेदारी भंवरसिंह पुत्र तख्तसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। विवादित भूमि की खातेदारी अपीलांट के जायंदा पिता भंवरसिंह पुत्र तख्तसिंह के नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत 2047 से 2050 प्रदर्श–2 है, राशन कार्ड वर्ष 1988 प्रदर्श–3 है, जिसमें आवाजसिंह पुत्र भंवरसिंह का नाम दर्ज है। प्रदर्श–4 एक ओर राशन कार्ड जिसमें भी आवाजसिंह पुत्र भंवरसिंह का नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत 2026से 29 प्रदर्श–5 है जिसमें खातेदारी भंवरसिंह पुत्र तख्तसिंह के नाम से दर्ज है। प्रमाण पत्र भारत सेवक समाज प्रदर्श–6 है,विद्युत विभाग का डिमांड नोटिस प्रदर्श–7 है, विशारद उपाधी प्रमाण पत्र प्रदर्श–8 है, टी0सी0 प्रमाण पत्र प्रदर्श–9 है, टोपीदार लाईसेन्स प्रदर्श–10 है, उन्नती विवरण (प्रोग्रेस रिपोर्ट) प्रदर्श–11 है। परीक्षा का अंक प्राप्तांक प्रदर्श–12 है,रकम जमा कराने का चालान प्रदर्श–13 है, पशु के दाखले की रसीद ग्राम पंचायत प्रदर्श–4 है। राहत श्रमिकों के लिए परिवार परिचय पत्र प्रदर्श–15 है। स्काउट प्रवेश पत्र प्रदर्श–16 है इन सभी दस्तावेजात में अपीलांट उसके पिता का नाम आवाजसिंह पुत्र भंवरसिंह नाम दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नं0 3 जो बनाई वह इस प्रकार से है कि आया विवादित कृषि भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के एकांतिक खाते,काश्त व कब्जे की है, जिसमें वादी गोद जाने से वादी का कोई वास्ता कतई नहीं है, बजिम्में प्रतिवादी इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

वादी आवाजसिंह बालसिंह के कब गोद गया उसका तारीख सन वार आदि नहीं बता सकता। बालसिंह हमारे खानदान में नहीं है यह सही है बालसिंह हमारा न तो ताऊ न दादा और न भाई था। बालसिंह की पत्नी की मृत्यु कब हुई मुझे ध्यान में नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि हमारा भाणजा जगदीशसिंह की शादी में वादी आवाजसिंह व हनुवंतसिंह साथ भात लेकर गये थे तथा आवाजसिंह की शादी भवरसिंह ने 14 साल की उम्र में की थी। मैं विवादग्रस्त भूमि का खसरा नम्बर नहीं बता सकता तथा विवादित जमीन कितनी जगह है मैं नहीं बता सकता तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने दस्तावेजात पेश किये उसमें लिखा है कि मैने बडवे की बही की लिखावट पेश की है जिसमें आवाजसिंह बालसिंह के गोद जाना बताया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि बही की लिखावट बडवे ने की मुझे पता नहीं, मेरे सामने नहीं लिखी, इसमें क्या लिखा मुझे पता नहीं तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा न तो कोई रजिस्टर्ड गोदनामा पेश किया गया। तथा ना ही कोई कच्ची अथवा पक्की लिखावट पेश की जिसमें गोद दिया जाना व गोद लिया जाना अंकित किया हुआ हो। ऐसा कोई दस्तावेज रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है तथा जिरह में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अपीलांट को बालसिंह के गोद जाने का कथन प्रगट होता हो। इसके अलावा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के गवाहों में से किसी ने भी अपीलांट के गोद जाने के तथ्य को साबित नहीं किया है तथा विवादित भूमि के खसरा नम्बर व कितनी भूमि है बताने में असमर्थ रहे है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के कथनों के विपरीत जाकर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा गोद के तथ्य को साबित करने में बिल्कुल असफल होने के उपरांत भी अपीलांट को उसके विरासतन अधिकार से वंचित कर मनमाना निष्कर्ष निकालकर अपीलांट का वाद खारिज करने में भारी भूल की है। अपीलांट आवाजसिंह के नाम से ग्राम पंचायत कुमास जागीर द्वारा जो 2 राशन कार्ड 1982 व 1992 में बने हुए है उसमें अपीलांट व उसके पिता का नाम आवाजसिंह पुत्र भंवरसिंह अंकित है तथा भारत निर्वाचन आयोग

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

द्वारा पहचान पत्र जो दिनांक 8–1–1996 को जारी किया हूआ है उसमें भी अपीलांट के पिता का नाम भंवरसिंह अंकित है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत कुमास जागीर का सरपंच रहा है उसने अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपीलांट आवाजसिंह के राशन कार्ड व मतदाता सूची में फर्जी से बाला बाला अपीलांट के पिता का नाम बालसिंह दर्ज करवा दिया,जिसकी जानकारी होने पर अपीलांट ने इसमें दुरूस्तीकरण करवाकर पुनः अपने जायंदा पिता भंवरसिंह का नाम अंकित करवा लिया जो आवाजसिंह की मृत्यु 2007 उपरांत तक यही नाम अंकित रहा है। इससे भी यह साफ जाहिर है कि अपीलांट आवाजसिंह बालसिंह का दत्तक नहीं होकर वह भंवरसिंह का जायन्दा पुत्र है। रेस्पोन्डेन्ट सख्या 1व 2 ने अपीलांट आवाजसिंह के पिता के जीवन काल में बाला बाला अधिनस्थ न्यायालय में एक दावा उनवानी सायरसिंह बनाम भंवरसिंह पेश किया जिसके मुकदमा नं0 42/1972 जिसमें अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना ही बाला बाला अपने पक्ष में दिनांक 6–7–1972 को डिक्री जारी करवाली तथा वादग्रस्त भूमियों को अपने नाम करवा लिया जब अपीलांट के दादा फोत हुए तो विरासत के नामांतरकरण में अपीलांट के पिता आवाजसिंह को बालसिंह का दत्तक पुत्र बताकर सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमियों का अपने नाम से खाता करवा लिया। अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय में उक्त आदेश व डिक्री की नकल पेश की जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने 150 रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया, इसके विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने माननीय राजस्व मंडल अजमेर में रिविजन की, परंतु माननीय राजस्व मण्डल ने यह कहते हुए रेस्पो0 संख्या 1 की रिविजन को खारिज कर दिया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अहम दस्तावेज है जो साक्ष्य के रूप में लिया जाना अति महत्वपूर्ण है। तथा इस आदेश के खिलाफ रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में रिविजन पेश की परंतु माननीय उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय जयपुर ने भी न्यायालय एस0डी0ओ0लक्ष्मागढ के आदेश को यथावत रखा। परंतु अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कहीं भी इस दस्तावेजात का खण्डन नहीं किया जबकि यह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अहम दस्तावेज था। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि अपीलांट आवाजसिंह दत्तक पुत्र के रूप में बालसिंह की जमीन पर काश्त करता है तथा वही रहता है, परंतु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने ऐसा कोई दस्तावेजात जमाबंदी आदि पेश नहीं की है जिसमें खातेदारी आवाजसिंह दत्तक पुत्र बालसिंह के नाम हो ऐसा कोई भी दस्तावेजात किसी भी रूप में पेश नहीं किया है तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के अधिनस्थ न्यायालय में बयान डी डब्लयू 3 सुरजाराम ने अपने बयानों मे कहा है यह कहना सही है कि भंवरसिंह के खाते, कब्जे की तीसरे हिस्से की जमीन आवाजसिंह को मिलनी चाहिए। इस तथ्य की ओर अधिनस्थ न्यायालय ने कतई गौर न कर निर्णय पारित किया है जो स्थिर रहने योग्य नहीं है। डी0डब्लू–3 सुरजाराम पुत्र बक्साराम ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जिरह में यह कहा है कि यह कहना सही है कि तीनों भाईयों की शादी भंवरसिंह ने की थी। यह कहना सही है कि आवाजसिंह भंवरसिंह के बनाये हुए मकानों में ही रहता है। यह कहना सही है कि भंवरसिंह के औलादों की तीसरे हिस्से की जमीन आवाजसिंह को मिलनी चाहिए। इससे स्पष्ट जाहिर है कि सायरसिंह रेस्पोन्डेन्ट के गवाह सुरजाराम ने स्वीकार किया है कि तीसरे हिस्से की जमीन आवाजसिंह (अपीलांट) को मिलनी चाहिए। अपीलांट अपने तीसरे हक हिस्से की जमीन को प्राप्त करने के लिए अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादी के गवाह डी0डब्लू–4 सुल्तानसिंह पुत्र हुक्मसिंह ने जिरह में कहा है कि आवाजसिंह गोद गया था तब 16–17 साल का था। विवादित जमीन के खसरा नम्बर व रकबा नहीं बता सकता। मैं किस जमीन का पडोसी हूं, नहीं बता सकता। मैं गोद की तिथि मिति तारीख नहीं बता सकता। आवाजसिंहजो काश्त करता है उस जमीन का खसरा नम्बरनहीं बता सकता। यह कहना सही है कि आवाजसिंह करीबन 135 बीघा भूमि काश्त करता है। इससे स्पष्ट है कि गवाहान द्वारा सही कथन किये गये है कि आवाजसिंह द्वारा 135 बीघा जमीन काश्त की जाती थी तथा आवाजसिंह द्वारा 135 बीघा भूमि प्राप्त करने की उदघोषणा चाही गई है। नामांतरकरण संख्या

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

187 दिनांक 14–5–78 में नोट लगाया गया कि" आज दिनांक 14–5–78 को नामांतरकरण पेश हुआ खातेदार भंवरसिंहजी फोत हो गये है। इनके तीन लडके सायरसिंह,आवाजसिंह व हनुवंतसिंह है। भंवरसिंहजी ने पहले ही आवाजसिंह व हनुवंतसिंह के नाम से जमीन का बंटवारा कर दिया था व आवाजसिंह बालसिंह के गोद है, पंचायत को इसकी पूरी जानकारी है। इसलिये यह खाता भंवरसिंह के बजाए सायर सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत अकेले के नाम से खाता स्वीकार किया जाता है" अगर भंवरसिंह ने आवाजसिंह व हनुवंतसिंह के नाम से जमीन का बंटवारा कर दिया था तो रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इनकी खातेदारी होने बाबत किसी प्रकार का कोई राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आदि प्रस्तुत किया जाता है। परंतु ऐसा कोई दस्तावेज रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। रेस्पोन्डेन्ट ने संपूर्ण खाता अपीलांट व हनुवंतसिंह के हक हिस्से की जमीन को हडपने के लिए ग्राम पंचायत से साजिश व षडयंत्र रचकर स्वयं ने अपने अकेले के नाम करवा लिया, जो नामांतरकरण गलत रूप से भरा गया है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर गौर नहीं करके कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक लक्ष्मणगढ द्वार पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 02–08–2019 दावा उनवानी आवाजसिंह बनाम सायरसिंह आदि मु0 नं0 39/13 निरस्त किया जाकर अपीलांट का वाद डिक्री किया जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि दस्तावेजी साक्ष्य में प्रतिवादी ने निर्वाचन कार्ड प्रदर्श डी 1 आवाज सिंह पिता बालसिंह पेश किया है। प्रमाण पत्र पदेन सचिव ग्राम पंचायत कुमास जागीर प्रदर्श डी 2 है जिसमें दर्ज है कि अप्रेल 1993 के राशन कार्ड रजिस्टर के आधार पर आवाज सिंह पुत्र बालसिंह का राशन कार्ड बना हुआ है। पंचायत मतदाता सूची 1994 प्रदर्श

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

डी 3 है। जिसमें क.सं. 141 पर आवाज सिंह/बालसिंह दर्ज है। निर्वाचन सूची 1964 प्रदर्श 4 है जिसमें क.सं. 71 पर आवाज सिंह/बाल सिंह दर्ज है। विधानसभा निर्वाचक नामावली 1980 प्रदर्श 5 है जिसमे कं.सं. 102 पर आवाज सिंह/बालसिंह दर्ज है। वार्ड संख्या 7 पंचायत सर्किल कुमास जागीर गांव झिलमिल मतदाता सुची प्रदर्श 6 है। जिसमें क्रम संख्या 124 पर आवाज सिंह/बाल सिंह दर्ज है नकल नामान्तकरण 187 दिनांक 14.05.1978 प्रदर्श 8 है जो भंवरसिंह की फोतिदगी पर विरासत का भरा गया है जिसमे दर्ज है कि आवाज सिंह बालसिंह के गोद गया है नकल केश नम्बर 1960 न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सीकर प्रदार्श 9 है। नकल पंचायत मतदाता सूची 1986 न्यायालय प्रदर्श 10 है। नकल नामान्तकरण 187 प्रदर्श 12 है। नकल निर्वाचन नामावली 1992 पेश की है। जिसमें क.सं. 148 पर आवाज सिंह/ बालसिंह दर्ज है। नकल खतौनी बंदोबस्त संवत 2010 से 29 प्रदर्श डी 13 है। जिसमें खातेदारी भंवरसिंह वल्द तख्त सिंह के नाम दर्ज है। नकल नामान्तकरण 121 दिनांक 06.03.1974 प्रदर्श 14 है। जो मुताबिक डिक्री शासर सिंह व हनुतसिंह पिता भंवर सिंह के नाम विवादित भूमि के सम्बंध में दर्ज किया गया है। नकल जमाबंदी प्रदर्श 16 हैं जिसमें खातेदारी बाबत खसरा नम्बर 98,102,123 हनुतसिंह के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 शायर सिंह द्वारा पेश समस्त दस्तावेज लोक दस्तावेज है प्रतिवादी द्वारा पेश सभी दस्तावेज सरकारी दस्तावेज है जिससे साबित है कि वादी आवाज सिंह बाल सिंह के गोद गया हुआ है जिसका शायर सिंह की कृषि भूमियों में कोई हक, हिस्सा नही है माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने वादी का दावा उचित खारिज किया है इसलिए अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है। पूर्व में मुकदमा नम्बर 42/72 एस डी एम कोर्ट फतेहपुर में शायर सिंह, हनुमान सिंह के नाम खाता एवं बटवारे का किया गया था इसलिए उक्त दावे के निर्णय के विरूद्व वादी को पक्षकार बनकर कार्यवाही की जानी थी परन्तु दावे का ज्ञान होते हुए भी उसको चैलेज नही किया इसलिये अधिनस्थ न्यायालय ने उचित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रूप से वादी का वाद खारिज किया है जो आदेश स्थिर रहने योग्य है इसलिए अपीलांट द्वारा पेश अपील खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा नामान्तकरण संख्या 187 दिनांक 14.05.1978 का ज्ञान होते हुए भी चैलेज नही किया जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा जांच कर नामान्तकरण भरा गया था क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रकिया अपनाकर नामान्तकरण भरा गया है जिसके विरूद्व वादी ने कोई कार्यवाही नही की इसलिए अधिनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से वादी का वाद खारिज किया है जो आदेश स्थिर रहने योग्य है इसलिए अपीलांट द्वारा पेश अपील खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा पेश दस्तावेज व प्रतिवादी द्वारा पेश दस्तावेजो का उचित अवलोकन कर एवं वादी एवं प्रतिवादी की साक्ष्य का उचित एंव सही अवलोकन कर उचित निर्णय एंव डिक्री पारित की है जो स्थिर रहने योग्य है माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने वादी का दावा सही खारिज किया इसलिये अपीलांट द्वारा पेश अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त बिन्दुओ पर गोर कर निर्णय पारित किया है विचारण न्यायालय ने तनकीवार विवेचन किया है जिसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। इसलिये अपीलांट द्वारा पेश अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा कायम तनकीयात का पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के अनुसार विवेचन निम्न प्रकार है।

1. तनकी संख्या 1– आया वादी का वाद की मद संख्या 1 में संशोधित वाद में वर्णित भूमियों में 1/3 हिस्सा है तथा उदघोषणा करवाने का अधिकारी है। – जिम्मेवादी

प्रस्तुत तनकी के सम्बंध में विचारण न्यायालय में अपीलांट ने नकल जमाबंदी प्रदर्श–1 पेश की जिसमें खातेदारी भंवरसिंह पुत्र तख्तसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। विवादित भूमि की खातेदारी अपीलांट के जायंदा पिता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भंवरसिंह पुत्र तख्तसिंह के नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत 2047 से 2050 प्रदर्श–2 है, राशन कार्ड वर्ष 1988 प्रदर्श–3 है, जिसमें आवाजसिंह पुत्र भंवरसिंह का नाम दर्ज है। प्रदर्श–4 एक ओर राशन कार्ड जिसमें भी आवाजसिंह पुत्र भंवरसिंह का नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत 2026से 29 प्रदर्श–5 है जिसमें खातेदारी भंवरसिंह पुत्र तख्तसिंह के नाम से दर्ज है। प्रमाण पत्र भारत सेवक समाज प्रदर्श–6 है,विद्युत विभाग का डिमांड नोटिस प्रदर्श–7 है, विशारद उपाधी प्रमाण पत्र प्रदर्श–8 है, टी0सी0 प्रमाण पत्र प्रदर्श–9 है, टोपीदार लाईसेन्स प्रदर्श–10 है, उन्नती विवरण (प्रोग्रेस रिपोर्ट) प्रदर्श–11 है। परीक्षा का अंक प्राप्तांक प्रदर्श–12 है,रकम जमा कराने का चालान प्रदर्श–13 है, पशु के दाखले की रसीद ग्राम पंचायत प्रदर्श–4 है। राहत श्रमिकों के लिए परिवार परिचय पत्र प्रदर्श–15 है। स्काउट प्रवेश पत्र प्रदर्श–16 है इन सभी दस्तावेजात में अपीलांट उसके पिता का नाम आवाजसिंह पुत्र भंवरसिंह नाम दर्ज है। अपीलांट आवाजसिंह के नाम से ग्राम पंचायत कुमास जागीर द्वारा जो 2 राशन कार्ड 1982 व 1992 में बने हुए है उसमें अपीलांट व उसके पिता का नाम आवाजसिंह पुत्र भंवरसिंह अंकित है तथा भरत निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान पत्र जो दिनांक 8–1–1996 को जारी किया हूआ है उसमें भी अपीलांट के पिता का नाम भंवरसिंह अंकित है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत गवाह डी डब्लयू 3 सुरजाराम ने अपने बयानों मे कहा है यह कहना सही है कि भंवरसिंह के खाते, कब्जे की तीसरे हिस्से की जमीन आवाजसिंह को मिलनी चाहिए। इस तथ्य की ओर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई विवेचन नही कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है। डी0डब्लू–3 सुरजाराम पुत्र बक्साराम ने विचारण न्यायालय के समक्ष जिरह में यह कहा है कि यह कहना सही है कि तीनों भाईयों की शादी भंवरसिंह ने की थी। यह कहना सही है कि आवाजसिंह भंवरसिंह के बनाये हुए मकानों में ही रहता है। यह कहना सही है कि भंवरसिंह के औलादों की तीसरे हिस्से की जमीन आवाजसिंह को मिलनी चाहिए। इससे स्पष्ट जाहिर है कि सायरसिंह रेस्पोन्डेन्ट के गवाह सुरजाराम ने स्वीकार किया है कि तीसरे हिस्से की जमीन आवाजसिंह (अपीलांट) को मिलनी चाहिए। इस विवेचन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 का निर्णय उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये बिना पारित किया है। जिसे

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विधि सम्मत नही माना जा सकता है। तनकी संख्या 1 के उपरोक्त विवेचन से तनकी संख्या 1 वादी अपीलांट के हक में साबित है एवं वादी अपीलांट के विधिक वारिसान अपीलांट संख्या 1/1 से 1/4 विवादित भूमि में 1/3 हिस्से की खातेदारी की उदघोषणा करवाने के अधिकारी पाये जाते है। अत यह तनकी वादी अपीलांट के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 2– आया वादी विवादित आराजीयात का विभाजन करवाकर 1/3 हिस्सा भूमि का खाता व लगान प्रथक से कायम करवाने का अधिकारी है – जिम्मेवादी।

तनकी संख्या 1 में किये गये विवेचन के अनुसार तनकी संख्या 1 वादी अपीलांट के हक में साबित है एवं वादी अपीलांट के विधिक वारिसान अपीलांट संख्या 1/1 से 1/4 विवादित भूमि में 1/3 हिस्से की खातेदारी की उदघोषणा करवाने के अधिकारी पाये जाते है। अत विधि अनुसार विभाजन के अधिकारी है। अत यह तनकी भी वादी अपीलांट के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 3 – आया विवादित कृषि भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के एकांतिक खाते काश्त व कब्जे की है। जिनमें वादी के गोद चले जाने से वादी का कोई वास्ता कतई नही है – जिम्मे प्रतिवादी।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि वादी आवाजसिंह बालसिंह के कब गोद गया उसका तारीख सन वार आदि नहीं बता सकता। बालसिंह हमारे खानदान में नहीं है यह सही है बालसिंह हमारा न तो ताऊ न दादा और न भाई था। बालसिंह की पत्नी की मृत्यु कब हुई मुझे ध्यान में नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि हमारा भाणजा जगदीशसिंह की शादी में वादी आवाजसिंह व हनुवंतसिंह साथ भात लेकर गये थे तथा आवाजसिंह की शादी भवरसिंह ने 14 साल की उम्र में की थी। मैं विवादग्रस्त भूमि का खसरा नम्बर नहीं बता सकता तथा विवादित जमीन कितनी जगह है मैं नहीं बता सकता। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा न तो कोई रजिस्टर्ड गोदनामा पेश किया गया, तथा ना ही कोई कच्ची अथवा पक्की लिखावट पेश की जिसमें गोद दिया जाना व गोद लिया जाना अंकित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

किया हुआ हो। ऐसा कोई दस्तावेज रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है तथा जिरह में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अपीलांट को बालसिंह के गोद जाने का कथन प्रगट होता हो। इसके अलावा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के गवाहों में से किसी ने भी अपीलांट के गोद जाने के तथ्य को साबित नहीं किया है तथा विवादित भूमि के खसरा नम्बर व कितनी भूमि है बताने में असमर्थ रहे है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के कथनों के विपरीत जाकर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा गोद के तथ्य को साबित करने में बिल्कुल असफल होने के उपरांत भी अपीलांट को उसके विरासतन अधिकार से वंचित कर मनमाना निष्कर्ष निकालकर अपीलांट का वाद खारिज करने में भारी भूल की है। अपीलांट आवाजसिंह के नाम से ग्राम पंचायत कुमास जागीर द्वारा जो 2 राशन कार्ड 1982 व 1992 में बने हुए है उसमें अपीलांट व उसके पिता का नाम आवाजसिंह पुत्र भंवरसिंह अंकित है तथा भरत निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान पत्र जो दिनांक 8–1–1996 को जारी किया हूआ है उसमें भी अपीलांट के पिता का नाम भंवरसिंह अंकित है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत कुमास जागीर का सरपंच रहा है उसने अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपीलांट आवाजसिंह के राशन कार्ड व मतदाता सूची में फर्जी से बाला बाला अपीलांट के पिता का नाम बालसिंह दर्ज करवा दिया,जिसकी जानकारी होने पर अपीलांट ने इसमें दुरूस्तीकरण करवाकर पुनः अपने जायंदा पिता भंवरसिंह का नाम अंकित करवा लिया जो आवाजसिंह की मृत्यु 2007 उपरांत तक यही नाम अंकित रहा है। इससे भी यह साफ जाहिर है कि अपीलांट आवाजसिंह बालसिंह का दत्तक नहीं होकर वह भंवरसिंह का जायन्दा पुत्र है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि अपीलांट आवाजसिंह दत्तक पुत्र के रूप में बालसिंह की जमीन पर काश्त करता है तथा वही रहता है, परंतु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने ऐसा कोई दस्तावेजात जमाबंदी आदि पेश नहीं की है जिसमें खातेदारी आवाजसिंह दत्तक पुत्र बालसिंह के नाम हो ऐसा कोई भी दस्तावेजात किसी भी रूप में पेश नहीं किया है तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के अधिनस्थ न्यायालय में बयान डी डब्लयू 3 सुरजाराम ने अपने बयानों मे कहा है यह कहना सही है कि भंवरसिंह के खाते, कब्जे की तीसरे हिस्से की जमीन आवाजसिंह को मिलनी चाहिए। डी0डब्लू–3 सुरजाराम पुत्र बक्साराम ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जिरह में यह कहा है कि यह कहना सही है कि तीनों भाईयों की शादी भंवरसिंह ने की थी। यह कहना सही है कि आवाजसिंह भंवरसिंह के बनाये हुए मकानों में ही रहता है। यह कहना सही है कि भंवरसिंह के औलादों की तीसरे हिस्से की जमीन आवाजसिंह को मिलनी चाहिए। इससे स्पष्ट जाहिर है कि सायरसिंह रेस्पोन्डेन्ट के गवाह सुरजाराम ने स्वीकार किया है कि तीसरे हिस्से की जमीन आवाजसिंह (अपीलांट) को मिलनी चाहिए। अपीलांट अपने तीसरे हक हिस्से की जमीन को प्राप्त करने के लिए अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादी के गवाह डी0डब्लू–4 सुल्तानसिंह पुत्र हुक्मसिंह ने जिरह में कहा है कि आवाजसिंह गोद गया था तब 16–17 साल का था। विवादित जमीन के खसरा नम्बर व रकबा नहीं बता सकता। मैं किस जमीन का पडोसी हूं, नहीं बता सकता। मैं गोद की तिथि मिति तारीख नहीं बता सकता। आवाजसिंहजो काश्त करता है उस जमीन का खसरा नम्बर नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि आवाजसिंह करीबन 135 बीघा भूमि काश्त करता है। इससे स्पष्ट है कि गवाहान द्वारा सही कथन किये गये है कि आवाजसिंह द्वारा 135 बीघा जमीन काश्त की जाती थी तथा आवाजसिंह द्वारा 135 बीघा भूमि प्राप्त करने की उदघोषणा चाही गई है। नामांतरकरण संख्या 187 दिनांक 14–5–78 में नोट लगाया गया कि" आज दिनांक 14–5–78 को नामांतरकरण पेश हुआ खातेदार भंवरसिंहजी फोत हो गये है। इनके तीन लडके सायरसिंह,आवाजसिंह व हनुवंतसिंह है। भंवरसिंहजी ने पहले ही आवाजसिंह व हनुवंतसिंह के नाम से जमीन का बंटवारा कर दिया था व आवाजसिंह बालसिंह के गोद है, पंचायत को इसकी पूरी जानकारी है। इसलिये यह खाता भंवरसिंह के बजाए सायर सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत अकेले के नाम से खाता स्वीकार किया जाता है" अगर भंवरसिंह ने आवाजसिंह व हनुवंतसिंह के नाम से जमीन का बंटवारा कर दिया था तो रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इनकी खातेदारी होने बाबत किसी प्रकार का कोई राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आदि प्रस्तुत किया जाता है। परंतु ऐसा कोई दस्तावेज रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आवाजसिंह भंवरसिंह का जायन्दा पुत्र था आवाजसिंह बालसिंह के गोद गया हो। इस तथ्य की पुष्टि पत्रावली में प्रस्तुत किसी भी दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य से नही होती है ऐसी स्थिति में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रतिवादी रेस्पोडेंट तनकी संख्या 3 को साबित करने में सफल नही रहा है। अत तनकी संख्या 3 का निर्णय वादी/अपीलांट के पक्ष में एवं प्रतिवादी/रेस्पोडेंट के विरूद्व तय किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन से वाद वादी भली भांति साबित है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी अपीलांट के वारिसान अपीलांट संख्या 1/1 से 1/4 को ग्राम झिलमिल तहसील लक्ष्मणगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 65,82,97,99,100,147,148,149,150,164,165,98,102,124,114 कुल किता 15 मे 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 23-2-21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर